# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 05 /2022** **दायर दिनांकः 12/08/2022**

**उनवान**

1. राधेश्याम आयु 53 वर्ष पुत्र भोलाराम जाति मीणा निवासी घट्टा तहसील छबडा जिला बारां राज0।
2. देवकीनंदन पुत्र हरिचरण जाति मीणा निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू।

**अपीलान्ट**

बनाम

1. सरपंच/ सचिव महोदय, ग्राम पंचायत कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

**रेस्पोडेन्टस्**

**अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 21.07.2022 ग्राम पंचायत कवाई अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.**

**उपस्थिति :—**
अपीलान्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम
रेस्पोडेन्टस :— स्वयं नॉन अपीलांट/रेस्पोडेंट

## आदेश

दिनाकः 27/09/2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने ग्राम कवाई के खाता नं0 333 के ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संयुक्त रूप से देवकीनन्दन पुत्र हरिचरण एवं प्रार्थी अपीलान्ट ने संयुक्त रूप से क्रय की थी। खाता नं0 333 के ख0नं0 409 की क्रयशुदा भूमि पर इंतकाल खोलने के लिये पटवारी हल्का को जर्ये तहसीलदार अटरू को आवेदन किया था। हल्का पटवारी द्वारा इंतकाल खोलकर वास्ते तस्दीक

करने हेतु ग्राम पंचायत कोरम में पेश किया था लेकिन ग्राम पंचायत ने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत इंतकाल अस्वीकार कर भूमि को विवादास्पद बताते हुये अस्वीकार कर दिया। ग्राम पंचायत कोरम द्वारा बिना जांच पडताल किये रजिस्टर्ड बेनामा को विवादित बताकर भारी भूल की है। जो अपील योग्य है। ग्राम पंचायत कवाई एवं इंतकाल से संबन्धित खाता संख्या 333 के ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 भूमि तहसील अटरू में होने से ग्राम पंचायत के निर्णय की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान को होने से माननीय न्यायालय में अपील पेश की है जो अन्दर मियाद पेश है। अतः माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अनुरोध है कि ग्राम पंचायत कवाई द्वारा अस्वीकृत खाता नं0 333 के ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 भूमि पर अपीलान्ट के पक्ष में बेनामा के आधार पर ग्राम पंचायत कवाई का आदेश दिनांक 21.07.2022 को निरस्त कर अपीलान्ट/क्रेताओं के पक्ष में इंतकाल खोलने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी/रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा दिनांक 12.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी. पेश किया गया जिसे अप्रार्थी/अपीलांट की मौखिक एवं प्रार्थी/रेस्पोडेंट क्रम 1 की लिखित बहस के आधार पर खारिज किया गया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट क्रम 1 ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी में जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित न होना स्वीकार किया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

3. अभिभाषक अपीलान्टस् एवं नॉन अपीलांट/रेस्पोडेंट क्रम 1 की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्टस ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि अपील अपीलाण्टगण स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम कवाई आराजी खाता नं0 333 के ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 भूमि पर ग्राम पंचायत कवाई के नामान्तरण आदेश दिनांक 21.07.2022 को निरस्त कर अपीलान्टगण/क्रेताओं के पक्ष में इंतकाल खोलने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आगे तर्क किया कि ग्राम पंचायत कवाई द्वारा रजि0 विक्रय पत्र को विवादित बताकर दिनांक 21.07.2022 को अपूर्ण कोरम में विधिविरूद्ध तरीके से इंतकाल खारिज किया गया। रजि0 विक्रय पत्र को वैध या अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल

न्यायालय के पास है न कि ग्राम पंचायत के पास। यदि कोई नामान्तरण किन्ही वैध कारणों से विवादित प्रतित होता है तो ग्राम पंचायत को उक्त नामान्तरण प्रपत्र को धारा 135(2) एल0आर0 एक्ट में तहसीलदार अटरू के पास भेजा जाना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत ने दादागिरी एवं राजनैतिक षडयंत्र द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर स्वयं ने ही नामान्तरण को खारिज कर दिया।

अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आगे तर्क किया कि पंचायतराज नियम 1996 के **नियम 40** प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा की बेठक आयोजित करने का 7 दिवस पूर्व वार्ड पंच/सदस्यों को बैठक नोटिस जारी, **नियम 41** के अनुसार बैठक की कार्यसूची तैयार करना, **नियम 44** के अनुसार बैठक के दौरान बैठक कार्यवाही रजिस्टर तैयार करना, **नियम 45 –50** के प्रावधानों के अनुसार सरपंच की अध्यक्षता में बैठक संचालित कराने आदि की जिम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी/सचिव की होती है। दिनांक 21.07.2022 को बारां जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी/सचिव हडताल पर चल रहे थे। इसके बावजूद भी सचिव/ग्राम विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में सभी वार्ड पंचों को बैठक की 7 दिवस पूर्व लिखित नोटिस दिये बिना सरपंच द्वारा अपने चहते 4–5 वार्ड पंचों को फोन से बुलाकर बंद कमरे में विधि विरूद्ध ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया था। 15 सदस्यी ग्राम सभा की कोरम पूरी हुऐ बिना ही निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरपंच द्वारा बैठक का आयोजन किया गया ।

अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आगे तर्क किया गया कि नॉन अपीलांट/रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2022 में स्वयं स्वीकार किया है कि हमारा अभिभाषक प्रकरण को उलझाने एवं लम्बा खींचने के उद्धेश्य से उन्हे गुमराह कर रहा था इसलिए नॉन अपीलांट/रेस्पोडेंट क्रम 1 ने अपने अभिभाषक को हटाकर स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में बहस अपील की है और अपीलांट की अपील पर नियमानुसार आदेश फरमाने का निवेदन किया है। अतः ग्राम पंचायत कवाई के नामान्तरण आदेश दिनांक 21.07.2022 के विरूद्ध अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 28.03.2022 के अनुसार इंतकाल दर्ज करने के लिए नॉन अपीलांट नं0 2 को आदेशित किया जावे।

नॉन अपीलांट/रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा अभिभाषक अपीलांट की बहस का कोई विरोध न करते हुए लिखित बहस पेश की जो निम्नानुसार है– यह कि उक्त उनवानी प्रकरण में आज

तारीख पेशी नियत है, जिसमें बहस अपील होनी है। अपीलांट रजिस्र्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.03. 2022 के आधार पर ग्राम पंचायत कवाई द्वारा खारिज इंतकाल संख्या 1984 के विरूद्ध नामान्तरण खोलने के लिए न्यायालय में आया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने पर रेस्पोडेंट क्रम 1 को कोई आपत्ति नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण खारिज करने का रेस्पोडेंट क्रम 1 को अधिकार नहीं था। लेकिन जानकारी के अभाव में खारिज कर दिया गया।

4. उक्त बहस के प्रकाश में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम कवाई की जमाबंदि संवत 2075–78 (प्रदर्श 2ए) के अनुसार खाता संख्या 333 ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 मेघराज पुत्र गोपाल मीणा के खाते दर्ज है। अपीलांटस द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28. 03.2022 प्रदर्श 3ए के अनुसार ग्राम कवाई की उक्त विवादित आराजी को खातेदार विक्रेता मेघराज पुत्र गोपाल जाति मीणा द्वारा अपीलांटस क्रम 1 राधेश्याम पुत्र भोलाराम मीणा व क्रम 2 देवकीनन्दन पुत्र हरिचरण मीणा को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया था। नामान्तरण प्रपत्र प्रदर्श 1ए के अनुसार उक्त रजि0 बेचान का पटवारी हल्का कवाई द्वारा नामान्तरण संख्या 1984 को दिनांक 11.07.2022 को खोला गया था जिसे भू.अभि.निरी. वृत कवाई द्वारा सही मानकर दिनांक 19.07.2022 को तस्दीक कर दिया गया था। यह नामान्तरण ग्राम पंचायत कवाई की दिनांक 21.07.2022 को सरपंच की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में विवादित मानकर अस्वीकार कर दिया गया था।

दिनांक 21.07.2022 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठक पंचायती राज नियम 1996 के नियम 40 से 50 के प्रावधानों के विरूद्ध आयोजित की गई थी या नहीं इस संबंध में अपीलांटस द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है लेकिन यह सुस्थापित तथ्य है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार यदि ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये जाने वाला किसी नामान्तरण को ग्राम सभा किसी वैध कारण के आधार पर विवादित मानती है तो उसे खारिज करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास नहीं है। ऐसे विवादित नामान्तरणों को ग्राम पंचायत द्वारा कारण का उल्लेख करते हुए निर्धारित समय सीमा में धारा 135(2) एल0आर0एक्ट0 के अधीन संबंधित नायब

तहसीलदार/तहसीलदार को अन्तरण किया जाना चाहिए। उपरोक्त अपील में ग्राम पंचायत द्वारा विवाद का कोई कारण उल्लेख किये बिना नामान्तरण खारिज कर दिया गया है जो कि विधि विरूद्ध है। सरपंच, कवाई द्वारा जानकारी के अभाव में ग्राम सभा में उक्त नामान्तरण संख्या 1984 को खारिज किया जाना और दिनांक 21.07.2022 को सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के हडताल पर होने को बहस के दौरान स्वीकार किया है। रेस्पोडेंट क्रम 1 ने अपनी लिखित बहस में भी रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल खोलने पर कोई आपत्ति पेश नहीं की है। ग्राम पंचायत को केवल अविवादित फौती या अन्तरण या दान या अन्य अधिग्रहण का नामान्तरण तस्दीक करने का अधिकार है। विवादित नामान्तरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किये जाने का प्रावधान है। यहां राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) का उल्लेख करना आवश्यक है जो निम्नानुसार है–

**Section 135 (2)- "If the succession or transfer or other acquition is disputed, the Tehsildar shall, if competent under this Act or any other law for the time being in force decide such dispute according to law and if not so competent, refer the dispute to any other officer so competent for decision."**

यहां यह तथ्य भी अविवादित है कि सब रजिस्ट्रार अटरू द्वारा रजिस्टर्ड किसी बेचान नामें को खारिज करने का क्षेत्राधिकार केवल सक्षम सिविल न्यायालय अटरू को है न कि किसी ग्राम पंचायत या अन्य संस्थान को। यदि कोई ग्राम पंचायत नामान्तरण तस्दीक करने के दौरान किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अवैध मानकर इंतकाल खारिज करती है तो यह कार्यवाही ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार के बाहर और अवैधानिक होगा।

5. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम कवाई की खाता संख्या 333 ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 पर रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2022 के अनुसार नामान्तरण तस्दीक करने के ग्राम पंचायत कवाई के आदेश दिनांक 21.07.2022 के विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलांटस अन्तर्गत धारा 75 डी एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस की ग्राम पंचायत कवाई के आदेश दिनांक 21.07.2022 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 (D) एल0आर0 एक्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम कवाई की आराजी खाता संख्या 333 ख0नं0 409 रकबा 0.31 है0 पर अपीलान्टस –राधेश्याम पुत्र भोलाराम मीणा निवासी घट्टा एंव देवकीनन्दन पुत्र हरिचरण जाति मीणा निवासी लोलाहेडी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2022 का नियमानुसार पुनः इन्तकाल खोलकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 27/09/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**